

## कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव ( छ0ग0 )

-:: सार्वजनिक सूचना ::-

क्रमांक / 4146 / भू-अर्जन / भूकनी / 2020

राजनांदगांव, दिनांक 25/06/2021

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत कामठा फीडर (आमनेर मोतीनाला डायवर्सन सिंचाई) के अतंगत डुबान, बांधपार तथा नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम कामठा, प.ह.नं. 42, रा.नि.मं. व तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला राजनांदगांव के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	मानसिंह पिता चेतन, जाति लोधी	457/3	0.320	0.020	असिंचित
2	गिरधारी पिता चिन्ताराम, जाति धोबी	456	0.194	0.154	असिंचित
3	अनंदीलाल, कन्हैयालाल पिता चोवाराम, जाति कलार	454/2	0.756	0.137	असिंचित
4	तरुण, गुलशन पिता भगवती, जाति लोधी	443/3	0.101	0.101	असिंचित
5	शत्रुहन पिता मोतीराम, ग्राम-कामठा	443/1	0.494	0.405	असिंचित
6	तुकाराम पिता शत्रुहन, जाति लोधी	442	0.235	0.235	असिंचित
		441/1	0.093	0.093	असिंचित
		441/2	0.097	0.097	असिंचित
		<b>योग</b>	<b>03</b>	<b>0.425</b>	<b>0.425</b>
7	लखनलाल पिता कलाराम ग्राम-कामठा	441/3	0.093	0.093	असिंचित
8	केशो पिता थानू, जाति केंवट	439/1	0.182	0.182	असिंचित
		439/2	0.186	0.186	असिंचित
		<b>योग</b>	<b>02</b>	<b>0.368</b>	<b>0.368</b>
9	बिजूराम पिता लखन, जाति लोधी	437/2	0.057	0.057	असिंचित
10	गोरख पिता लखन, जाति लोधी	437/3	0.057	0.057	असिंचित
<b>महायोग</b>		<b>13</b>	<b>2.865</b>	<b>1.817</b>	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,

जिला-राजनांदगांव

21/6/2021

क्रमशः 02 पर

पृ0कमांक/4146 /भू-अर्जन/भूकनी/2020  
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव,

दिनांक 25/06/2021

- 1- प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3- तहसीलदार, खैरागढ़ को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़, तहसील कार्यालय खैरागढ़ तथा संबंधित ग्राम पंचायत- कामठा के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- आवेदक विभाग कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

Jaran

कलेक्टर,

जिला-राजनांदगांव

21/6/2021